न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– गोपाल लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 82/2011

तारीख दायरा–28.07.2011

तारीख निर्णय–01.07.2016

1. श्री पुना उर्फ पुनमचन्द पिता श्री मोती तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री गणेश पिता नारू तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हीरा पिता नारू तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
3. मु. नानीबाई बेवा नारू तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
4. मु. वरदीबाई बेवा नाथु तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री हीरालाल मुतबना नाथु तेली निवासी गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा।
6. श्रीमती नारायणीबाई पुत्री नाथु तेली पत्नी गोपीलाल तेली निवासी पदराडा तहसील गोगुन्दा।
7. श्रीमती लाली बाई पुत्री नाथु तेली पत्नी खमाणा तेली निवासी गोराणा तहसील झाडोल।
8. श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री नाथु तेली पत्नी भगवतीलाल तेली निवासी गोराडा तहसील झाडोल।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री आर.एस. राठौड

प्रतिवादी की ओर से– श्री एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 217 में वर्णित आराजियात किता 14 कुल रकबा 0.4482 है0 भूमि स्थित है, जिसे वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजियात कहा जायेगा। उक्त वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादीगण का मौके पर संयुक्त कब्जा चला आ रहा है, परन्तु भूमि का रेकार्ड में विधिवत बंटवाडा नही होने से खातेदारान के मध्य आये दिन पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई मर्तबा भूमि के बंटवाडे हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का खातेदारान के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज कराई जावें वादी के हिस्से में आई भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या चार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 के खाता संख्या 217 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ संयुक्त खातेदार काश्तकार है, जिसका विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गोगुन्दा पटवार क्षेत्र गोगुन्दा तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 1650 मी. रकबा 0.0350, 1654 रकबा 0.0500, 1642/1 रकबा 0.0142, 1643 मी. रकबा 0.0038, 1677/1 रकबा 0.0100, 1679 रकबा 0.0300 किता 6 कुल रकबा 0.1430 है0 भूमि का पुना पिता मोती तेली, आराजी नम्बर 1642 मी. रकबा 0.0308, 1652 मी. 0.1094, 1653 रकबा 0.0600, 1676 रकबा 0.0250, 1678 रकबा 0.0200, 1677 मी. रकबा 0.0100, 1680 रकबा 0.0300 किता 7 कुल रकबा 0.2852 है0 भूमि का गणेश,

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

हीरा पिता नारू, मु. नानीबाई बेवा नारू, वरदी बेवा नाथु, हीरालाल मुतबना नाथु, नारायणी, लाली, लक्ष्मी पिता नाथु तेली को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी नम्बर 1670 मी. रकबा 0.0050, 1671 रकबा 0.0100, 1640 मी. रकबा 0.0050 किता 03 कुल रकबा 0.0200 है0 भूमि गणेश, हीरा पिता नारू, मु. नानीबाई बेवा नारू, वरदी बेवा नाथु, हीरालाल मुतबना नाथु, नारायणी, लाली, लक्ष्मी पिता नाथु, पुना पिता मोती के संयुक्त खातेदारी में रखी जाती है। एतद्नसुार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा-उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा-उदयपुर